<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248056 CG-DL-E-12082023-248056

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] No. 575] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सं. एल-1/265/2022/केविविआ.—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिंड कोड) विनियम, 2023 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड-4, संख्या 488) में दिनांक 11.07.2023 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 1 के खण्ड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाअधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे;

और, इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023, दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./357/2023-24]

5218 GI/2023 (1)

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

No. L-1/265/2022/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 was published on 11.07.2023, in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 488);

Whereas, the Clause (2) of Regulation 1 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023 provides that these Regulations shall come into force from such date as notified by the Commission:

And now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023, shall come into force with effect from 01.10.2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./357/2023-24]